

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक  
29-11-23 को पेश हो।

1-11-23 वकील प्रार्थी द्वारा एकरण में कोई कार्य-  
वाली नहीं-चाहने बावत प्रार्थना-पत्र पेश  
कैसे पर पत्रावली तलब की गयी एस्तुत  
प्रार्थना-पत्र अनुसार प्रार्थी गण द्वारा उक्त  
प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं-चाही  
जा रही है

हमने एस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन  
किया एवं उपस्थित प्रार्थी वकील प्रार्थी को सुना।  
द्वारा मूल वाद खारिज किया जा चुका है, इस  
कारण उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित  
नहीं होने से उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज किया  
जाता है

पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से  
कम है।

01.11.23

उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

